रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72 REGISTERED No. D.(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 261] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 1979/श्रावण 25, 1901
No. 261] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 1979/SRAVANA 25, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1979

सा० का० नि० 488(अ).—पासपोर्ट अधिनियम 1967 (1967 का 15) की धारा 22 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के 14 अप्रैल, 1976 की अधिसूचना सं० जी० एस० आर० 293 (ई), का अधिलंघन करते हुए, केन्द्र सरकार यह सोचकर कि ऐसा करना लोक हित में अपेक्षित है, इसके द्वारा भारत के ऐसे नागरिकों को, जिनके विरुद्ध भारत के किसी भी फौजदारी न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी भी कथित अपराध के संबंध में कार्यवाही चल रही है और जो संबद्ध न्यायालय की ओर से आदेश प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें इसके द्वारा भारत से चले जाने की अनुमति दी जा रही है, पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (च) के उपबंधों को लागू किये जाने से छूट देती है, यथा :—

(क) ऐसे प्रत्येक नागरिक को जारी किये जाने वाला पासपोर्ट

(i) अगर उपर्युक्त न्यायालय आदेश में इस प्रकार की अनुमति अधिक से अधिक तीन महीने के लिए दी गई हो तो यह पासपोर्ट तीन महीने की अवधि के लिये जारी किया जाएगा और इस पर यह टिप्पणी दी जाएगी कि इस पासपोर्ट का धारक अधिक से अधिक उक्त आदेश में निर्विष्ट अवधि के लिए विदेश यात्रा कर सकेगा ;

(ii) यदि ऐसे आदेश में ऐसी कोई अवधि नहीं दी गई है, तो पासपोर्ट छः महीने के लिए जारी किया जाएगा और इसे और आगे छः महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, यदि न्यायालय के उस आदेश को रद्द न किया गया हो या उसमें कोई संशोधन न किया गया हो, अथवा

(iii) अन्य किसी मामले में, इतनी अवधि के लिए जिसके लिए ऐसे आदेश द्वारा ऐसी अनुमति दी गई है ;

(ख) उक्त नागरिक पासपोर्ट प्राधिकारी को लिखित में यह वचन देगा कि वह संबंधित न्यायालय द्वारा यदि अपेक्षित होगा तो इस प्रकार जारी किये गये पासपोर्ट के चलने रहने के दौरान किसी भी समय उसके समक्ष उपस्थित होगा ।

[सं० VI/401/37/79]

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th August, 1979

G.S.R. 488(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs, No. G.S.R. 298(E) dated the 14th April, 1976, the Central Government, being of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts citizens of India, against whom proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by them are pending before a criminal court in India and who produce orders from the court concerned permitting them to depart from India, from the operation of the provisions

of clause (f) of sub-section (2) of section 6 of the said Act, subject to the following conditions, namely :—

(a) the passport to be issued to every such citizen shall be issued

(i) where the order of the court referred to above, gives such permission for a period not exceeding three months, for a period of three months and an observation will be made on the passport that the holder may travel abroad for a period not exceeding that specified in such order; or

(ii) if no period is specified in such order, the passport shall be issued for a period of six months and may be renewed for a further period of six months, if the order of the court is not cancelled or modified; or

(iii) in any other case, for the period for which such permission is given by such order;

(b) the said citizen shall give an undertaking in writing to the passpport authority that he shall, if required by the court concerned, appear before it at any time during the continuance in force of the passport so issued.

[No. VI/401/37/79]

सा० का० नि० 489(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) के खंड 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पासपोर्ट नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) ये नियम पासपोर्ट नियम, (दसवां संशोधन), 1979 कहलायेंगे ।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे ।

2. पासपोर्ट नियम, 1967 (जिनका उल्लेख इसके बाद कथित नियम कह कर किया गया है) के नियम 6 के प्रथम परन्तुक के अंत में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, यथा :—

"(x) संसद सदस्य अथवा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्य अथवा महानगर परिषद्, दिल्ली के सदस्य अथवा किसी अधिकारी जिसका रैंक सरकार के उप सचिव से कम न हो, अथवा किसी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा अपर जिलाधीश अथवा जिलाधीश से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना है कि वे इस ओर से आश्वस्त है कि आवेदन की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है ।"

3. फार्म इ ए (पी)–1 में कथित नियम की अनुसूची–III में—

(क) वर्तमान सत्यापन प्रमाणपत्र के स्थान पर निम्नलिखित सत्यापन प्रमाण पत्र रखा जाएगा, यथा :—

"ण. सत्यापन प्रमाणपत्र :

(यह प्रमाण-पत्र पासपोर्ट प्राप्त करने की पूर्व-शर्त नहीं है) ।

1. इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैं इस ओर से आश्वस्त हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी ——————————पुत्र/पत्नी/पुत्री ——————————ने उपरोक्त पासपोर्ट आवेदन-पत्र में जो विवरण दिया है वह सही है । मैं आवेदक को पासपोर्ट के उपयुक्त पात्र समझता हूं । मैं इस ओर से आश्वस्त हूं कि आवेदक भारत का नागरिक है ।

2. मैं इस ओर से आश्वस्त हूं कि आवेदक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है ।

टेलीफोन :
कार्यालय :

हस्ताक्षर ——————————

निवास स्थान :

(नाम साफ अक्षरों में)

स्थान :

पद नाम——————————

दिनांक :

कार्यालय की मोहर——————————

नोट :

यदि सत्यापन प्राधिकारी यह प्रमाणित करने में असमर्थ हो कि आवेदक की वित्तीय स्थिति अच्छी है तो वह सत्यापन प्रमाणपत्र से पैराग्राफ 2 हटा सकता है । ऐसी स्थिति में आवेदक को वित्तीय गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी बशर्ते कि उसे पासपोर्ट नियम, 1967 के नियम 6. के अंतर्गत ऐसा करने से अन्यथा छूट न मिली हो ;

(ख) "चेतावनी" शीर्षक के अंतर्गत "प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (न्यायिक) अथवा कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट भी हो, अपर जिलाधीश/जिलाधीश" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधीश अथवा जिलाधीश" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० VI (401)/35/79]

के० डी० शर्मा, संयुक्त सचिव

G.S.R. 489(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Passports (Tenth Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the first proviso to rule 6 of the Passports Rules, 1967 (hereinafter referred to as the said rules), the following clause shall be inserted at the end, namely :—

"(x) furnishes a certificate from a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly of a State or Union territory or Member of Legislative Council of a State or Member of Metropolitan Council, Delhi or an officer not below the rank of a Deputy Secretary to Government, or a Judicial Magistrate of the first class or a Sub-Divisional Magistrate, an Additional District Magistrate or a District Magistrate, to the effect that he has satisfied himself that the applicant is financially sound."

3. In Schedule III to the said rules, in Form EA(P)-1,—

(a) for the existing Verification Certificate, the following verification certificate shall be substituted, namely :—

"O. VERIFICATION CERTIFICATE :

(This certificate is not a pre-requisite for obtaining a passport).

1. I hereby certify that I have satisfied myself that the particulars in the above application for a passport furnished by Shri|Shrimati|Kumari——————————son|wife|daughter of—————————— are correct. I regard the applicant to be a suitable person to be considered for issue of a passport. I have satisfied myself that the applicant is a citizen of India.

2. I have satisfied myself that the applicant is financially sound.

Telephone :
Office :
Residence :
Place :
Date :

Signature——————
Name (in capital letters)——————
Designation——————
Office stamp——————

NOTE.—If the verifying authority is not in a position to certify the financial soundness of the applicant, that authority may delete paragraph 2 from the verification certificate, in which event, the applicant will have to produce a financial guarantee unless otherwise exempted from doing so under rule 6 of the Passports Rules, 1967." ;

(b) under the heading "CAUTION", for the words and brackets "a Magistrate of the first class (Judicial) or an Executive Magistrate who is also Sub-Divisional Magistrate, Additional District Magistrate/District Magistrate", the words "a Judicial Magistrate of the first class or a Sub-Divisional Magistrate, an Additional District Magistrate or a District Magistrate" shall be substituted.

[No. VI (401)/35/79]

K. D. SHARMA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979